

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-11/2025/19(आप)पं०रा०
बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांक 11/6/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15(स्वी०) दिनांक 08.06.2026 के आलोक में "मुख्यमंत्री कन्या विवाह मण्डप योजना" के क्रियान्वयन हेतु 1337 ग्राम पंचायतों में कुल ₹73,53,50,000.00 (तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय संकल्प संख्या 8103 दिनांक 27.06.2025 आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15(स्वी०) दिनांक 08.06.2026 द्वारा राज्य योजना मद से "मुख्यमंत्री कन्या विवाह मण्डप योजना" अन्तर्गत कुल 1337 ग्राम पंचायतों में विवाह मण्डप निर्माण हेतु प्रति पंचायत ₹5,50,000.00 (पाँच लाख पचास हजार रुपये) की दर से कुल ₹73,53,50,000.00 (तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि जिलावार (अनुलग्नक-1) एवं पंचायतवार (अनुलग्नक-2) संलग्न विवरणी के अनुरूप निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-01 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹73,53,50,000.00 (तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

Amt In Rupees		
Sl.No	District	Alloted Amount
1	Araria	₹ 71,50,000.00
2	Arwal	₹ 55,00,000.00
3	Aurangabad	₹ 2,53,00,000.00
4	Banka	₹ 66,00,000.00
5	Begusarai	₹ 1,26,50,000.00
6	Bhagalpur	₹ 1,15,50,000.00
7	Bhojpur	₹ 2,36,50,000.00
8	Buxar	₹ 1,76,00,000.00

9	Darbhanga	₹ 4,12,50,000.00
10	East Champaran	₹ 2,69,50,000.00
11	Gayaji	₹ 1,43,00,000.00
12	Gopalganj	₹ 6,54,50,000.00
13	Jamui	₹ 55,00,000.00
14	Jehanabad	₹ 27,50,000.00
15	Kaimur	₹ 88,00,000.00
16	Katihar	₹ 2,14,50,000.00
17	Khagaria	₹ 2,97,00,000.00
18	Kishanganj	₹ 2,36,50,000.00
19	Lakhisarai	₹ 1,21,00,000.00
20	Madhepura	₹ 3,90,50,000.00
21	Madhubani	₹ 1,65,00,000.00
22	Munger	₹ 1,10,00,000.00
23	Muzaffarpur	₹ 2,64,00,000.00
24	Nalanda	₹ 1,32,00,000.00
25	Nawada	₹ 1,37,50,000.00
26	Patna	₹ 3,02,50,000.00
27	Purnia	₹ 1,43,00,000.00
28	Rohtas	₹ 1,04,50,000.00
29	Saharsa	₹ 55,00,000.00
30	Samastipur	₹ 1,76,00,000.00
31	Saran	₹ 5,11,50,000.00
32	Sheikhpura	₹ 60,50,000.00
33	Sheohar	₹ 49,50,000.00
34	Sitamarhi	₹ 1,21,00,000.00
35	Siwan	₹ 2,69,50,000.00
36	Supaul	₹ 4,45,50,000.00
37	Vaishali	₹ 1,81,50,000.00
38	West Champara	₹ 1,15,50,000.00
Total		₹ 73,53,50,000.00

तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख पचास हजार रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0112-मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" मद के विषय शीर्ष '0112.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-4515001010112 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय संकल्प संख्या 8103 दिनांक 27.06.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

[Signature]

[Signature]

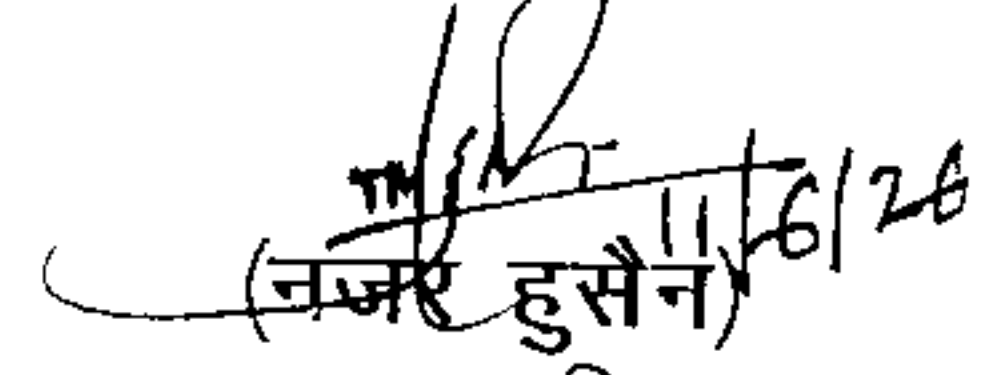
5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि को मुख्यमंत्री कन्या विवाह मण्डप योजना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को कार्य प्रारंभ करने के समय तकनीकी स्वीकृति की राशि का 5 प्रतिशत Mobilization Advance के रूप में तथा निर्माण प्रारंभ होने के उपरांत मापी पुस्त में भौतिक की प्रविष्टि के आधार पर CFMS के माध्यम से ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध करायेंगे।
6. इस आवंटित राशि से व्यय की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे, ताकि इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना कार्यालय में समायोजित कराया जा सकें।
7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस आवंटित राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
9. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
11. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

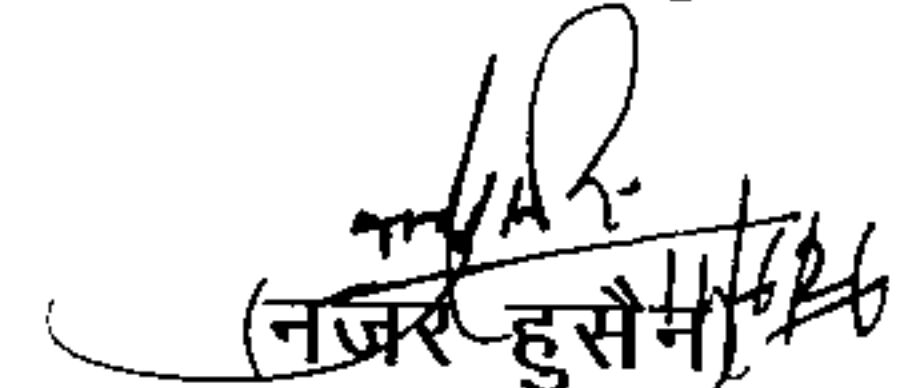
14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-11/2025 के पृष्ठ संख्या 37/टि० पर दिनांक 10.06.26 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

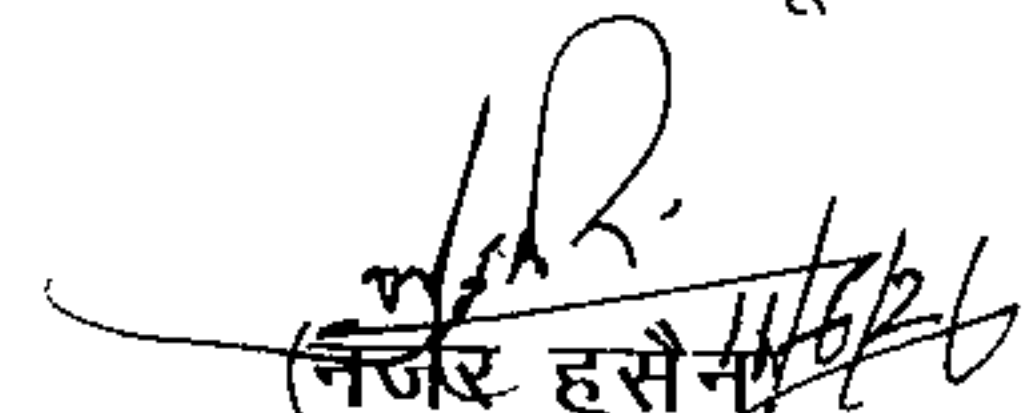
विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-11/2025/19(आ०)/पं०रा०पटना, दिनांक 11/6/2026
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/
संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं
07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-11/2025/19(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/6/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव
